- 22. Any legal disputes pertaining to the admission shall be subject to Chitrakoot Jurisdiction only. प्रवेश से संबंधित सभी कानूनी विवाद केवल चित्रकूट न्यायिक क्षेत्र के अधीन होंगे।
- 23. If two or more candidates have secured equivalent marks/ rank in the merit list, then the priority will be determined as per the following provisions-
  - If the marks secured by the applicants in required qualification are same, in such a case first
    priority will be given to the candidate who has secured higher Average percentage of marks in
    High School/Intermediate/graduation or equivalent examinations.
  - o If the Average Percentage of marks secured in equivalent examinations are also the same, in such a case the candidate who is older in age will be given priority.
  - यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार मेरिट सूची में समान अंक रैंक प्राप्त करते हैं, तो उनके बीच प्राथमिकता निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी-
  - यदि उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंक समान होंए तो ऐसे मामले में पहली
    प्राथमिकता उस उम्मीदवार को दी जाएगी जिनका हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/तक की परीक्षाओं
    में औसतन प्रतिशत अंक अधिक होगी।
  - यदि समकक्ष परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत अंक भी समान होंए तो ऐसे मामले में प्राथमिकता उस उम्मीदवार को दी जाएगी जो आयु में बड़ा होगा।
- 24. Regarding refund of admission fee-

Before the completion of admission process in the concerned program and within 15 days of admission, the candidate must give a written request letter to the Convenor, Admission Committee/ Registrar, University, stating the reason for unwillingness to study in the University and to consider the refund of fee. The University Administration will take the decision on the request letter given by the Candidate.

प्रवेश शुल्क वापसी के संबंध में-

संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने से पहले और प्रवेश के 15 दिनों के भीतर, उम्मीदवार को विश्वविद्यालय के संयोजक, प्रवेश समिति/रजिस्ट्रार, को एक लिखित अनुरोध पत्र देना होगा, जिसमें विश्वविद्यालय में अध्ययन न करने का कारण बताना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अनुरोध पत्र पर शुल्क वापसी हेतु निर्णय ले सकेगा।

25. Only **Divyang** (**Differently- Abled**) **students** will be admitted with hostel accommodation (if demanded) following the hostel rule.

केवल दिव्यांग छात्रों को ही छात्रावास की सुविधा के साथ प्रवेश (मांगे जाने पर) छात्रावास के नियमों के आधीन दिया जायेगा।

26. Only benchmark disability will be considered under disability category for admission.

दिट्यांग छात्रों के लिए प्रवेश हेत् केवल बेंचमार्क दिट्यांगता अन्मन्य होगा।